<u>कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश</u>

उपस्थित	**श्रीमती कामिनी चौहान रतन, आई0 ए0 एस0, एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।**
प्रार्थी	**सर्वश्री मृदुल मार्केटिंग, शॉप नम्बर-20, अनुपम नगर, मोतीझील, लखनऊ ।**
प्रार्थना पत्र संख्या व दिनांक	**47 / 12, 29.08.2012**
प्रार्थी की ओर से	**श्री प्रवीण गुप्ता ।**

<u>उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय</u>

सर्वश्री मृदुल मार्केटिंग, शॉप नम्बर-20, अनुपम नगर, मोतीझील, लखनऊ द्वारा उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए निम्न वस्तुओं पर कर की दर की जानकारी चाही गयी है :-

1. पत्ते से बने दोने व प्लेटें ।
2. थर्माकोल ग्लास एवं थर्माकोल प्लेट जिनका प्रयोग खाना खिलाने के बर्तन के रूप में किया जाता है ।
3. लकड़ी चम्मच जिसका प्रयोग चाट खाने के लिए किया जाता है ।
4. कागज की प्लेटें ।
5. फूड वार्मिंग जेल जिसका प्रयोग खाना गरम करने के लिए किया जाता है ।

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई के समय प्रार्थी-श्री प्रवीण गुप्ता उपस्थित हुए हुए तथा उनके द्वारा प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तथ्यों को दोहराते हुए कहा गया कि उपरोक्त वस्तुओं पर कर की दर की जानकारी इसलिए चाही गयी है क्योंकि थर्माकोल प्लेट निर्माण करने वाली कम्पनियों द्वारा अपने बिल में थर्माकोल प्लेट न लिखकर डिस्पोजेबल प्लेट अंकित किया जा रहा है । पूर्व में पारित सर्वश्री अग्रवाल निवाड भण्डार, 77 / 8-A सूतरखाना, कानपुर के धारा-59 के निर्णय दिनांक 12.08.2009 में प्लास्टिक की प्लेट व दोने खाना खिलाने के काम आता है इस पर 4% की दर से करदेयता माना गयी है । चूँकि उक्त वस्तुएं भी खाना खाने में प्रयोग की जाती हैं इसलिए इन पर भी उसी अनुसार करदेयता होनी चाहिए । अन्त में तदनुसार प्रार्थना-पत्र निस्तारित करने का अनुरोध किया गया ।

3. एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, लखनऊ जोन-प्रथम के पत्रांक-2098, दिनांक 03.10.2012 से आख्या प्राप्त हुई है । आख्या में कहा गया है कि पत्ते से बने दोने व प्लेट उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-ए की प्रविष्टि संख्या-72 पर 4% की दर से करयोग्य हैं । थर्माकोल ग्लास व थर्माकोल प्लेट जिनका प्रयोग खाना खिलाने के बर्तन के रूप में किया जाता है पर थर्माकोल की भॉति 4% की दर से करदेयता होगी क्योंकि थर्माकोल उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-सी की प्रविष्टि संख्या-173 पर 4% की दर से करयोग्य है । इसी प्रकार लकड़ी का चम्मच उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-ए की प्रविष्टि संख्या-92 के अनुसार 4% की दर से करयोग्य है । कागज की प्लेट उत्तर

....2

प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-ए की प्रविष्टि संख्या-39 के अनुसार 4% की दर से करयोग्य है। फूड वार्मिंग जेल जिसका प्रयोग खाना गरम करने में किया जाता है यह विज्ञापित नहीं है तदनुसार इस पर 12.5% की दर से करदेयता निर्धारित किया जाना उचित होगा।

4. प्रस्तुत कर्ता अधिकारी द्वारा अपनी आख्या में कहा गया है कि पत्ते के बने दोने व प्लेट (जो प्रेस व स्टिच हों) उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I की प्रविष्टि संख्या-72 के अन्तर्गत, 4%+ विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता स्पष्ट है।

लकड़ी के चम्मच जिनका प्रयोग चाट खाने में किया जाता है उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-ए के क्रमांक-92 पर विज्ञापित है और इन पर 4%+ विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता स्पष्ट है।

कागज की प्लेट पर उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-ए के क्रमांक-39 पर विज्ञापित Cups and glasses of paper & plastics के अन्तर्गत, 4%+ विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता स्पष्ट है। इस को All utensils की श्रेणी में मानाजा सकता है 1

फूड वार्मिंग जेल जिसका प्रयोग खाना गरम करने में किया जाता है, यह किसी भी अनुसूची में विज्ञापित वस्तु नहीं है। अत: इस पर उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-V के अन्तर्गत अवर्गीकृत वस्तु की भाँति 12.5% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता स्पष्ट होती है।

उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, भाग-सी की प्रविष्टि संख्या-173 पर थर्मोकोल विज्ञापित है जिस पर 4%+ विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता है। अनुसूची-II, भाग-ए के क्रमांक-07 पर All utensils including pressure cookers / pans except utensils made of precious metals, Ceramicwares and glasswares ;Art brass ware and ingots (guilli) विज्ञापित है, इन पर 4%+ विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता है। थर्माकोल से बने प्लेट व कप जो खाना खिलाने के बर्तन हैं, All utensils की श्रेणी में आते हैं, इसलिए इन पर भी 4%+ विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता प्रतीत होती है।

5. मेरे द्वारा व्यापारी के धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों एवं प्रस्तुत साक्ष्यों का परिशीलन किया गया। प्रश्नगत वस्तुओं पर कर की दर निम्नवत होगी :-

1	पत्ते के बने दोने व प्लेट (जो प्रेस व स्टिच हों)	उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-ए के क्रमांक-72 के अनुसार 4%+ विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होगी।
2	पत्ते के बने दोने व प्लेट (जो प्रेस व स्टिच न हों)	उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I की प्रविष्टि संख्या-50 के अनुसार करमुक्त होगी।
3	लकड़ी के बने चम्मच जिनका प्रयोग चाट खाने में किया जाता है	उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-ए के क्रमांक-92 पर विज्ञापित है और इन पर 4%+ विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होगी।

4	कागज की प्लेट	उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, भाग-ए के क्रमांक-07 पर All utensils including pressure cookers / pans except utensils made of precious metals, Ceramicwares and glasswares ;Art brass ware and ingots (guilli) विज्ञापित है। कागज की प्लेट, जो खाना खिलाने के बर्तन हैं, All utensils की श्रेणी में आते हैं इसलिए इन पर भी 4%+ विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होगी।
5	फूड वार्मिंग जेल जिसका प्रयोग खाना गरम करने में किया जाता है।	उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत विज्ञापित वस्तु नहीं है । अत: इस पर अनुसूची-V के अन्तर्गत अवर्गीकृत वस्तु की भाँति 12.5% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होगी।
6	थर्माकोल ग्लास व थर्माकोल प्लेट जिनका प्रयोग खाना खिलाने के बर्तन के रूप में किया जाता है।	उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, भाग-ए के क्रमांक-07 पर All utensils including pressure cookers / pans except utensils made of precious metals, Ceramicwares and glasswares ;Art brass ware and ingots (guilli) विज्ञापित है। थर्माकोल से बने प्लेट व कप, जो खाना खिलाने के बर्तन हैं, All utensils की श्रेणी में आते हैं इसलिए इन पर भी 4%+ विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होगी।

6. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 11 अक्टूबर, 2012

ह0 / 11.10.2012

(कामिनी चौहान रतन)

एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।